प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय ... इन्द्रसिंह/ तहसीलदार
प्रकरण संख्या 139/2014 ... उप खण्ड अधिकारी
व मजिस्ट्रेट सोजत ... 15/11/22 को है/हुआ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 139/2014

वादी :—

1. ईन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी— मामावास, तहसील—सोज़त, जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

02. भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह के कायम मुकाम
 02/01 समन्दरकंवर पत्नि भंवरसिंह
 02/02 जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह
 02/03 रघुनाथसिंह पुत्र भंवरसिंह
 02/04 किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह
 02/05 प्रेमकंवर पुत्री भंवरसिंह
 02/06 लाड कंवर पुत्री भंवरसिंह

03. तेजसिंह पुत्र मोतीसिंह

04. खींवसिंह पुत्र मोतीसिंह

05. सरीया कवंर पुत्री मोतीसिंह जातियान— राजपूत, निवासीयान— मामावास, हसील— सोजत, जिला— पाली।

06. भोपालसिंह पुत्र जोरसिंह,

07. केसरसिंह पुत्र जोरसिंह जातियान— राजपूत, निवासी— मामावास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थिति:—

1. श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 15/11/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मामावास तहसील सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 05 का खसरा नम्बर 23, 44 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 07 की खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर की पुस्तैनी खातेदारी, कब्जा कास्त की आई हुई स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का वंश वृक्षवली अनुसार मूल पुरूष मोतीसिंह के

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

वारिसान भंवरसिंह(फौत), सरिया कंवर, डूंगरसिंह लाओलाद(फौत), तेजसिंह, हुकमसिंह(फौत) खीवसिंह पि0 मोतीसिंह, समंदकरकंवर पत्नि भंवरसिंह(फौत), जालमसिंह, रघुनाथसिंह, किशनसिंह पि0 भंवरसिंह(फौत), गोदावर कंवर(फौत) पत्नि हुकमसिंह(फौत), इंदरसिंह पुत्र हुकमसिंह (फौत) उपरोक्त वंशवृक्ष में से वादी के पिता स्व0 हुकमसिंह एवं भंवरसिंह, डूंगरसिंह का भी देहान्त हो चुका है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2045 से 48 में वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 23, 44 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर भूमि भंवरसिंह, डूंगरसिह, तेजसिंह, हुकमसिंह, खींवसिंह पिसरान मोतीसिंह के नाम से दर्ज है जिसमें हुकमसिंह का 01/05 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि जोरसिंह पुत्र गुमानसिंह, भंवरसिह, डूंगरसिह, तेजसिंह, हुकमसिंह, खींवसिंह पिसरान मोतीसिंह के नाम से दर्ज है जिसमें हुकमसिंह का 01/02 का 01/05 पर हिस्सा अर्थात 01/10 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता था। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 से पूर्ण रूपेण साबित है। हुकमसिंह अपने जीवनकाल में अपने उपरोक्त हिस्से पर शांन्तिपूर्णक बिना किसी बाधा के काबिज थे एंव कास्त करते थे जिनके देहान्त के पश्चात् वादी हुकमसिंह पुत्र मोतीसिंह के हिस्से पर खातेदारी कास्तकार की हैसियत से आज भी कास्त करते आ रहे है। स्व0 हुकमसिंह का देहान्त दिनांक 01.07.1982 को हो गया। हुकमसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 40 दिनांक 13.06.1990 को खोला गया। उक्त म्यूटेशन में पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 10–11 में वादी के स्थान पर पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह दर्ज कर दिया गया जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रथम तो यह है कि स्व0 हुकमसिंह के पौकरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है, द्वितीय यह कि स्व0 हुकमसिंह पुत्र मोतीसिंह के वादी के अलावा कोई अन्य जाईन्दा पुत्र/पुत्रियां नहीं है। इस प्रकार पटवारी हल्का के द्वारा भरा गया म्यूटेशन पूर्ण रूप से गलत है। उक्त म्यूटेशन संख्या 40 के बाद वादी का राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम आज भी दर्ज सुदा है। सन् 2009–2010 में प्रतिवादी भंवरसिंह व डूंगरसिंह का देहान्त हो गया तब पटवारी हल्का के द्वारा स्व0 भंवरसिंह के वारिसान के नाम म्यूटेशन संख्या 142 की पुश्त पर व स्व0 डूंगरसिह के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 143 में गलत वंशावली अंकित कर भरा गया हैं। उक्त वंशावली में हुकमसिंह की पत्नी का नाम मदनकंवर दर्शाया गया है जो गलत है। स्व0 हुकमसिंह की एक मात्र पत्नी गोदावरकवंर ही थी अन्य मदनकंवर नाम की कोई महिला स्व0 हुकमसिह की पत्नी नहीं थी। इस प्रकार पटवारी हल्का के द्वारा आंखे मून्द कर उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 40, 142, 143 भरे है जो गलत है। स्व0 डूंगरसिंह के लाऔलाद फौत होते ही डूंगरसिंह के खसरा नम्बर 23, 44 रकबा 1.7500 हैक्टर में से 01/05 हिस्से खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर में से 01/10 वां हिस्से के खातेदारी अधिकार स्व0 मोतीसिंह के समस्त वारिसान में विभक्त हो गए इसी कारण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

वादी डूंगरसिंह के फौत होने पर खसरा नम्बर 23, 44 रकबा 1.7500 हैक्टर में 01/25 वा हिस्सा व खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर में 01/50 वां हिस्से के खातेदार कास्तकार हो गए है। इसी कारण वादी खसरा नम्बर 23, 44 में से 01/05 हिस्सा(हुकमसिंह से प्राप्त)+ 01/25 हिस्सा (डूंगरसिंह से प्राप्त)= कुल 06/25 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 29 में से 01/10 हिस्सा (हुकमसिंह से प्राप्त)+ 01/50 हिस्सा) = कुल 06/50 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। दिनांक 26.08.2014 को वादी द्वारा अपने खेतों पर लोन लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का ने जानकारी दी कि आप ईन्द्रसिंह के नाम के स्थान पर गलती से पोकरसिंह नाम दर्ज हो गया है। तब वादी द्वारा अपने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के मुताबिक सभी रेवेन्यू रेकर्ड की नकले हेतु आवेदन कर नकले प्राप्त की। तब सर्वप्रथम वादी को रेवेन्यू विभाग के द्वारा की गई गलतियों की जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद वादी ने अपने अधिवक्ता अर्जुनसिह राजपुरोहित के मार्फत तहसीलदार सोजत को धारा 80 सीपीसी का दो माह का वैधानिक नोटिस दिनांक 01.09.2014 को दिया गया परंतु फिर भी तहसीलदार सोजत के द्वारा आज दिन तक उक्त अशुद्धि को ठीक नहीं किया। अतः वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषित कराने खातेदारी एवं दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने यह वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि खातेदारी घोषणा की डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर कि सादिर फरमाई जावे कि वादपत्र में कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम मांमावास संख्या नम्बर 23, 44 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह व मदनकंवर पत्नी हुकमसिंह का नाम हटाया जाने तथा उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति होने से वादी को कुल 06/25 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह का नाम हटाया जाने तथा उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति होने से वादी को कुल 06/50 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने तथा संबंधित राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/2, 3 व 4 की ओर से दिनांक 21.03.2018 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रेपड़ावास में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। बिन्दु संख्या 02 व 03 को वादी स्वयं सिद्ध किया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

जाना व पैरा संख्या 02, 03 वादी द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना तथा पैरा संख्या 04 से 09 कानूनी होना अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/3 से 2/6, 5 से 7 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 02/02, 3 व 04 ने इकबालिकया जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि वादपत्र में अंकित खसरा नम्बर व रकबा का वर्णन सही है। वादपत्र में अंकित वंशावली सही है। वादी के पिता हुकमसिंह का खसरा संख्या 23, 44 रकबा 1.7500 हैक्टर में 01/05 हक हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि में हुकमसिंह का 01/10 हक हिस्सा आता है। वादी के पिता हुकमसिंह का देहान्त होने के बाद फौतदगी म्यूटेशन संख्या 40 दिनांक 13.06.1990 को खोला गया जिसमें वादी का नाम पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह दर्ज किया गया जो गलत है। हुकमसिंह का पोकरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं हुआ है न है। साथ ही हुकमसिंह का वादी के अलावा अन्य कोई जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं है। प्रतिवादी भंवरसिंह व डूंगरसिंह का देहान्त हो चुका है तथा म्यूटेशन संख्या 142 की पुस्त पर जो वंशावली बताई है वह गलत है। हुकमसिंह की पत्नी का नाम मदन कंवर नहीं है, न था। हुकमसिंह की एकमात्र पत्नी गोदावर कंवर ही थी। जिनका देहान्त दिनांक 23.02.2016 को हो चुका है, अब हुकमसिंह का एकमात्र उताराधिकारी वादी ही है। म्यूटेशन संख्या 142 के आधार पर ही म्यूटेशन संख्या 143 भरा गया है जो गलत है। वादी ने अपना वादपत्र सही तथ्यों का हवाला देते हुए पेश किया है, यदि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार का एतराज एवं आपति नहीं है अतिरिक्त हमारी पूर्ण सहमति है। कोई प्रतिकारात्मक टिप्पणी नही होने से तनकीयात कायम नही की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं की तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 तथा प्रतिवादी खीमसिंह के बयान कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादी के पिता हुकमसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–1 तथा इसकी छाया प्रति प्रदर्श– 1ए है। वादी की माता गोदावरकंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 एवं इसकी छाया प्रति प्रदर्श 2 ए है। वादी का आधार कार्ड प्रदर्श–3 है। जिसकी छाया प्रति प्रदर्श –3 ए है। वादी का निर्वाचन कार्ड प्रदर्श –4 है जिसकी छया प्रति प्रदर्श – 4 ए है। मूल ग्राम पंचायत खारीया सोडा का प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.2014 प्रदर्श –5 है। मौका फर्द दिनांक 23.05.2016 प्रदर्श –6 है। नामान्तरकरण संख्या 40 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 है। जमाबन्दी सम्वत 2045–48 की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रमाणित प्रति प्रदर्श –8 है। जमाबन्दी सम्वत 2065–68की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 है। नामान्तरकरण सख्या 143 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –11 है। जमाबन्दी सम्वत 2069 – 72 खसरा नम्बर 23, 44 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –13 है। प्रदर्श–14 के रूप में वादी की 10 वी की अंकतालिका मूल है एवं इसकी छाया प्रति प्रदर्श 14 ए है। यूनियन बैंक की डायरी प्रदर्श 15 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 15 ए हैं वादी द्वारा भूमि धारी तहसीलदार सोजत को जारी नोटिस की प्रति प्रदर्श–16 है। जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श–18 है। उक्त दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही। शहादात प्रतिवादी पेश नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी आज बन्द की गई।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादीगण सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम मामावास संख्या नम्बर 23, 44 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह व मदनकंवर पत्नी हुकमसिंह का नाम गलत दर्ज होने से हटाया जाने तथा उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति होने से वादी को कुल 06/25 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने तथा खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह तथा मदनकंवर गलत रूप से पत्नि हुकमसिह तथा वास्तविक पत्नि गोदावरकंवर फौते हो जाने से उनके नाम हटाया जाने तथा उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति एवं एकमात्र हुकमसिह ही उतराधिकारी होने से वादी को कुल 06/50 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने तथा संबंधित राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाने की ईस्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी कोई किसी प्रकार का एतराज एवं आपति जाहिर नहीं की है और अपनी पूर्ण सहमति दी है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी के पिता हुकमसिंह का देहान्त दिनांक 01.07.1982 को हुआ है जिसकी पुष्टि प्रदर्श– 1 ए, स्व हुकमसिह के मृत्यु प्रमाण पत्र से सपष्ट होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत खारिया सोडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.2014 प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 पटवारी हल्का खारिया सोडा की मौका फर्द दिनांक 23.5.2016 में अंकित तथ्यो अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मृतक हुकमसिह के एक मात्र पुत्र इन्द्रसिह ही है। प्रतिवादी द्वारा भी अपने इकबालिया जबाब

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

दावा मे मृतक पोकरसिंह के एक मात्र पुत्र इन्द्ररसिंह होने व वादी की माता का नाम मदनकंवर न होकर गोदावरकवर होना बखूबी प्रमाणित है। फलस्वरूप ना.स. 40 दिनांक 13.06.1990 नामा0 सख्या 142 व 143 गलत एवं अवैध रूप से दर्ज किये जाने से उक्त नामान्तरकरणों द्वारा दर्ज गलत इन्द्राज मदनकंवर पत्नि हुकमसिह एवं पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वादी की माता का नाम मदनकंवर न होकर गोदावरकंवर होना तथा इनका देहान्त दिनांक 23.02.2016 को होना प्रदर्श–2 ए से पुष्टि होती है। ग्राम मामावास के खसरा नम्बर 29, 23 व 44 मे मोतीसिंह के विधिक वारिसानों का 1/2 हिस्सा तथा जोरसिंह के विधिक वारिसानों का 1/2 हिस्सा बनता है। मोतीसिंह एवं उनकी धर्मपत्नी रूपकंवर फौत होने से तथा माफिक वंशवृक्षवली अनुसार इनके विधिक वारिसान भवरसिंह, डुंगरसिंह, तेजसिंह, खीवसिंह, हुकमसिंह प्रत्येक का बराबर 1/10 हिस्सा बनता है। डूगरसिह ला आलौद फौत होने से डुंगरसिंह का 1/10 हिस्सा मोतीसिंह के अन्य विधिक वारिसानो में प्रत्येक के 1/50 बहिब हुआ जिससे हुकमसिह का नोशनल शेयर 1/10 +1/50 = 6/50 बनता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 23 व 44 में मोतीसिंह के विधिक वारिसान भंवरसिंह, डुंगरसिंह, तेजसिंह, खीवसिंह, हुकमसिंह का प्रत्येक का 1/5 बहिब बना। इसमे भी डुंगरसिंह लाऔलाद फौत होने से डुंगरसिंह का नोशनल शेयर से प्राप्त 1/5 हिस्सा मोतीसिंह के अन्य विधिक वारिसान के नाम प्रत्येक का 1/25 बहिब हुआ। जिससे खसरा नम्बर 23 व 44 में हुकमसिंह का 1/5 + 1/25 = 6/25 बनता है। चूंकि पूर्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी के पिता हुकमसिंह के पोकरसिह नाम से कोई विधिक वारिस नही है तथा माता मदनकंवर जिन्है गोदावरकंवर के नाम से भी जाना जाता है का भी देहान्त हो चुका है जिससे हुकमसिह के एक मात्र विधिक वारिस वादी इन्द्रसिंह होने से हुकमसिंह को खसरा नम्बर 29 व खसरा नम्बर 23 व 44 में पोकरसिंह व मदनकंवर के स्थान पर वादी इन्द्रसिंह के नाम खातेदारी घोषित की जाकर खसरा नम्बर 29 में 6/50 तथा खसरा नम्बर 23 व 44. में 6/25 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीग विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम मामावास संख्या नम्बर 23, 44 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह व मदनकंवर पत्नी हुकमसिंह का नाम हटाया जाता है तथा इस कृषि भूमि में वादी को कुल 06/25 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार

उप खण्ड अधिकारी
पोकरण (जिला-जैसलमेर) राज.

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
पोकरण (राज.)

घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह का नाम हटाया जाता है वादी को 06/50 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधित रूप से पक्षकारो एवं रकबा दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–

1. ईन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी– मामावास, तहसील–सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान
02. भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह के कायम मुकाम
   02/01समन्दरकंवर पत्नि भंवरसिंह
   02/02 जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह
   02/03 रघुनाथसिंह पुत्र भंवरसिंह
   02/04 किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह
   02/05 प्रेमकंवर पुत्री भंवरसिंह
   02/06 लाड कंवर पुत्री भंवरसिंह
03. तेजसिंह पुत्र मोतीसिंह
04. खींवसिंह पुत्र मोतीसिंह
05. सरीया कवंर पुत्री मोतीसिंह जातियान– राजपूत, निवासीयान– मामावास, हसील– सोजत, जिला– पाली।
06. भोपालसिंह पुत्र जोरसिंह,
07. केसरसिंह पुत्र जोरसिंह जातियान– राजपूत, निवासी– मामावास, तहसील– सोजत, जिला– पाली।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :– 139/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री मो0 शरीफ घोषी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीग विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम मामावास संख्या नम्बर 23, 44 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7500 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह व मदनकंवर पत्नी हुकमसिंह का नाम हटाया जाता है तथा इस कृषि भूमि में वादी को कुल 06/25 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप खसरा नम्बर 29 रकबा 0.3600 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज पोकरसिंह पुत्र हुकमसिंह का नाम हटाया जाता है वादी को 06/50 वा हक हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधित रूप से पक्षकारों एवं रकबा दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/11/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)